

Appeal No. 193 / Appeal Cell/RTI/NWD

4

सेवा में

Dated 1/9/2012

दिनांक 01-09-2017

Dy. No. 909 / Appeal Cell/RTI/NWD

श्री मान पुलिस उपायुक्त

जिला - उत्तर पश्चिम

Dated 1/9/2012

प्रथम अपीलार्थी अधिकारी

अशोक विहार दिल्ली - 110052

DCP	-----
Addl. DCP-I	-----
Addl. DCP-II	-----
ACP	-----
Insp. Adm.	-----
Branch	RTI appeal

N.W. NORTH-WEST ZONE

No. 193 Dt. 1/9/12

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जन-सूचना अधिकारी द्वारा गलत एवं भ्रमित सूचना उपलब्ध कराने पर धारा. 19 (1) के तहत प्रथम अपील, महोदय.

मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी आतिरिक्त उपायुक्त पुलिस-I जिला उत्तर पश्चिम से मेरे द्वारा SHO. PS AV / ACP. AV / DCP-NW को दिनांक 28-06-2017 को की गई शिकायतों पर की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक RTI आवेदन पत्र दिनांक 18-7-17 को दिया था जिसका जबाब PIO द्वारा पत्र संख्या-ID No - 2250/17/4964 दिनांक 11-08-2017 के माध्यम से दिया गया है (प्रतिलिपि सलग्न है) यह जवाब गलत एवं भ्रमित करने वाला है,

मेरे RTI आवेदन पत्र के कुल 16 प्रश्नों में से केवल प्रश्न संख्या. 10 और 16 का जबाब दिया गया है बाकी सभी प्रश्नों के जबाब नहीं दिये गए हैं मेरे प्रश्न 01 से 09 और 11 से 15 तक के सभी प्रश्नों के जबाब दिलाने के लिए सम्बंधित PIO को आदेश देने की कृपा करें,

आतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप मेरी प्रथम अपील पर एक Hearing Fix करके सुनवाई कराये और मेरे RTI आवेदन पत्र के प्रश्न संख्या 01 से 09 और 11 से 15 तक के सभी प्रश्नों के जबाब दिलाने के आदेश भी जारी करें,

अभवादि

भवदीय

(हस्ताक्षर)

रमेश कर्दम

WP-121 वजीरपुर गांव  
अशोक विहार दिल्ली-52,  
मो० ९७०-९८९९७५३८३८